फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय

संख्या:- 229/2020 ओमप्रकाश बनाम राजेन्द्र

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27/10/24	पत्रावली पेश हुई वकील वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 6 उपस्थित प्रतिवादी सं. 1 से 6 का जवाब दावा पेश किया जाता है पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 13/11/24 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
13/11/2024	पत्रावली पेश हुई वकील वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 6 उपस्थित वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 27/11/2024 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
27/11/24	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप. वकील वादी की बहस अन्तिम सुनी गई बहस वकील वादी व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन करने पर वादग्रस्त [illegible] किया जाता है विस्तृत निर्णय प्रकरण में किया जाकर [illegible] किया गया [illegible] पत्रावली [illegible] बाद तामील दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 278/2020
निर्णय दिनांक : 27.11.2024

ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री लादू
कालू पुत्र श्री जगदीश
गुलाब देवी पत्नी स्व. श्री लादू
टीना पुत्र श्री छीतर
नव यादव पुत्र श्री रामकिशन यादव
बीना पत्नी स्व. श्री छीतर
भागचन्द पुत्र श्री रामेश्वर
रमाकांत पुत्र श्री रामप्रसाद
विकास पुत्र स्व. श्री छीतर ज. संरक्षिका माता श्रीमती बीना देवी
0. विनय पुत्र स्व. श्री छीतर ज. संरक्षिका माता श्रीमती बीना देवी
1. हरिनारायण पुत्र श्री रामेश्वर
2. हीरा लाल पुत्र श्री भैरू समस्त जातियान् अहिर (यादव) समस्त निवासी खातोदियों की ढाणी, ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान ।

उनवान

बनाम

1. राजेन्द्र यादव पुत्र श्री भगवान सहाय
2. सुरेश यादव पुत्र श्री भगवान सहाय
3. मुकेश यादव पुत्र श्री प्रभुनारायण
4. रामसहाय पुत्र श्री प्रभुनारायण
5. रमेश पुत्र श्री प्रभुनारायण
6. राकेश पुत्र श्री प्रभुनारायण समस्त जातियान यादव समस्त निवासी लखड़ा की ढ़ाणी, ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान
7. विकास भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जरिये संयोजक कालूराम माली पता एस.के. ग्रान्ट होटल के पास काला बड़ रोड़,, टोल टैक्स, सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान ।
8. तहसीलदार, तहसील सांगानेर, पता तहसील कार्यालय, मैन मार्केट, सांगानेर, जिला जयपुर,

वादीगण

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 27.11.2024

वादी की ओर से पेश वाद का विवरण इस प्रकार है कि वादीगण उपरोक्त उनवानी पते के निवासी हैं जिनकी आराजी कृषि भूमि वर्तमान खाता संख्या 82 पुराना खाता संख्या 68, खसरा नं.

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

89/2 रकबा 0.44 हैक्टेयर चाही–2, स्थित ग्राम बक्सावाला, पटवार हल्का श्रीराम की नागंल, भू. अभिलेख वाटिका, अन्तर्गत तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हैं, जिसमें वादी संख्या 1 लगायत 3, 8 व 12 का हिस्सा 1/12, 1/12, वादी संख्या 4, 6, 9, 10 हिस्सा 1/48, 1/48, वादी संख्या 5 का हिस्सा 1/4 तथा वादी संख्या 7 व 11 का हिस्सा 1/8, 1/8 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज हैं। जिसके वादीगण खातेदार होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इस वाद पत्र मे खसरा नं. 89/2 की कृषि भूमि ही वादग्रस्त सम्पत्ति से संबोधित की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 जिनके खसरा नं. 750,– 751, 756, 757 हैं, वादग्रस्त सम्पत्ति के पश्चिमी तरफ अवैध निर्माण कार्य कर अवैध रास्ता निकालना चाहते हैं, जिन्होंने वादग्रस्त सम्पत्ति की ओर अपने निर्माणाधिन मकानो का मुँह वादग्रस्त सम्पत्ति की ओर कर लिया है और वादग्रस्त सम्पत्ति की ओर 1 इंच जमीन भी वादीगण की तरफ नहीं छोडी हैं और निर्माणाधिन मकान की आड मे वादग्रस्त सम्पत्ति खसरा नं. 89/2 की भूमि पर अवैध रूप से अवैध रास्ता निकालने को आमादा हैं। जिससे जानकारी होने पर दिनांक 24.11.2020 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 से वादग्रस्त सम्पत्ति की ओर विना जगह छोडे, विना रास्ता छोड़े मकानों का मुँह करने का कारण पूछा तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 आग बबुला हो गये, जिन्होंने वादीगण को ऐलानिया धमकी दी कि वह जिस जमीन पर खड़े हो जाते हैं वह जमीन उनकी हो जाती हैं, अब एक बार हमने इस जमीन की तरफ मुख कर लिया है तो इस जमीन की ओर अवैध रास्ता जबरन निकालकर आवागमन चालू कर देगें, तुम लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि कोर्ट, कचहरी, थाना तहसील में हमारी ऊपर तक पहुंच हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने प्रतिवादी संख्या 7 से मिलीभगत कर रखी है, जिससे वादग्रस्त सम्पत्ति की ओर निर्माणाधिन मकानों के पट्टे प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक में जारी करवा लिये हैं, जो ऐन केन प्रकारेण वादग्रस्त सम्पत्ति पर अतिक्रमण करके जबरन अवैध रास्ता निकालने को आमदा हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के विरुद्ध पुलिस थाना सांगानेर सदर में कार्यवाही करनी चाही तो संबंधित कर्मचारियों द्वारा न्यायालय में जाकर कार्यवाही करने की बात कहते हुए वापस लौटा दिया। इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करना लाजमी हुआ हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को वादीगण जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द करवाने के अधिकारी हैं कि वे वादग्रस्त सम्पत्त की ओर जबरन अवैध रास्ता नहीं निकाले, वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की कोई बाधा कारित नहीं करें, ऐसा ना तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट इत्यादि से करावे। वादकारण दिनांक 24.11.2020 को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति की ओर अवैध रास्ता निकालने की धमकी देने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

अतः वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार है डिक्री फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त खसरा नं. 89/2 की ओर जबरन अवैध कब्जा कर रास्ता नहीं निकाले, वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की कोई बाधा कारित नही करें, ऐसा ना तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट इत्यादि से करावे तथा मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। वकील वादी उपस्थित । प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से वकील उपस्थित व वकालत नामा पेश । प्रतिवादी संख्या 7 बावजूद डाक रजिस्टर्ड तामील अनुपस्थित । प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्ध दिनांक 26.06.2024 को एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत नही करने पर दिनांक 17.10.2024 को जवाब बन्द किया गया।

पत्रावली में बहस वादी अधिवक्ता की सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत मे निवेदन किया कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्ध फरमाया जावे कि हाल वादग्रस्त खसरा नं. 89/2 रकबा 0.4400 है0 वाके ग्राम बक्सावाला, पटवार हल्का श्रीरामकीनांगल भू–अभिलेख निरीक्षक वाटिका, तहसील सांगानेर स्थित भूमि में जबरन अवैध कब्जा कर रास्ता नहीं निकाले, वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की कोई बाधा कारित नहीं करें, ऐसा ना तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट इत्यादि से करावे तथा मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकार्ड का आद्योपांत अवलोकन करने व वकील उभयपक्ष की बहस का मनन करने पर हम इस निकर्ष पर पहुँचे है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 89/2 रकबा 0.4400 है0 वाके ग्राम बक्सावाला, पटवार हल्का श्रीरामकीनांगल भू–अभिलेख निरीक्षक वाटिका, तहसील सांगानेर जयपुर स्थित कृषि भूमि के पश्चिमी तरफ अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बरान 750, 751, 756, 757 है जो कि वादगस्त भूमि के लगवा है । अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी में दखल देने का कोई अधिकारी नही है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाना उचित समझते है ।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वाके ग्राम बक्सावाला, पटवार हल्का श्रीरामकीनांगल भू–अभिलेख निरीक्षक वाटिका, तहसील सांगानेर जयपुर कि वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा न० 89/2 रकबा 0.4400 है0 भूमि को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त वादग्रस्त आराजी मौके की यथास्थिति बनाये रखे । निर्णय के मुताबिक डिक्री पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)